राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की दिनांक 08/09/2016 को आयोजित 130वीं बैठक के कार्यवृत्त

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 130वीं बैठक कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा श्री मयंक के. मेहता की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में श्री अतिश सिंह, निदेशक (आईएफ-II), वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, श्री सुदर्शन सेठी, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राजस्थान सरकार, श्री राजीव सिंह ठाकुर, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग एवं स्टेट मिशन निदेशक, LP & SHG, राजस्थान सरकार, श्री नवीन महाजन, वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान सरकार, श्री रोहित कुमार, शासन सचिव, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग एवं आयुक्त रोजगार गारण्टी योजना, राजस्थान सरकार, श्री विक्रम सिंह चौहान, विशिष्ठ शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, श्री अंबरीश कुमार, निदेशक कृषि, राजस्थान सरकार, श्री पी.के.जेना, मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, श्रीमति सरिता अरोरा, मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड तथा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, विभिन्न बैंकों, बीमा कम्पनियों व वित्तीय संस्थाओं के कार्यपालकों / अधिकारियों द्वारा सहभागिता की गयी। ***(संलग्न सूची के अनुसार)***

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान द्वारा बैठक के अध्यक्ष, मंचासीन गणमान्य सदस्यों एवं उपस्थित अन्य सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तथा अध्यक्ष महोदय को उद्घाटन उदबोधन हेतु आमंत्रित किया गया।

बैठक के अध्यक्ष तथा कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने उदबोधन में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं तथा राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास में एस.एल.बी.सी. की भूमिका की सराहना करते हुए बताया कि एस.एल.बी.सी., राजस्थान एक सक्रिय फोरम के रूप में कार्य कर रहा है जो कि बैंकों तथा विभिन्न हितग्राहियों के आपसी सक्रिय सहयोग एवं समन्वय से उत्कृष्ट कार्य कर रहा है, उन्होने राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि को मुख्य आर्थिक गतिविधि एवं कृषि के अलावा एमएसएमई और पर्यटन के क्षेत्रों का भी राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान बताते हुए राज्य में कृषि ऋण देने में बैंकिंग कारोबार के लिए अपार संभावनाएं होना बतलाया।

उन्होनें राज्य मे बैंकों के कार्यनिष्पादन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि राज्य में विभिन्न पैरामीटर्स यथा बैंक जमाएं, अग्रिम, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदत्त ऋण, कृषि, वार्षिक साख योजनांतर्गत प्रगति, साख जमा अनुपात (CD Ratio), कमजोर एवं अल्पसंख्यक वर्गों को प्रदत्त ऋण इत्यादि के तहत संतोषप्रद उपलब्धियां दर्ज की गई हैं.

उनके उदबोधन के सार बिन्दु निम्नानुसार रहे:-

राज्य में बैंक जमाओं में वृद्धि दर सराहनीय रही है एवं राज्य में कार्यरत सभी बैंक इस हेतु प्रशंसा के पात्र हैं।

- राज्य में CD Ratio 80.03% है, जो कि बेंचमार्क से अधिक है, परंतु CD Ratio दिसम्बर, 2015 की स्थिति (94.05%) से काफी कम आ गया है जिसका मुख्य कारण राज्य में बैंकों द्वारा डिसकॉम (Discom) को स्वीकृत 31,000 करोड़ रूपये (लगभग) की ऋण सुविधा का उदय स्कीम के अंतर्गत बॉण्ड में रूपान्तरित होना बताया ।

- वार्षिक साख योजना के तहत कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लक्ष्यों के सापेक्ष जून 2016 तक प्राप्त उपलब्धि 32% को सराहनीय बताया। त्रैमासिक लक्ष्यों के सापेक्ष यह प्रगति 127 प्रतिशत रही है।
- आधार अधिनियम, 2016 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए जाने तथा केंद्र और राज्य सरकार द्वारा देय सरकारी सब्सिडी राशि को प्राप्त करने के लिए आधार आवश्यक किए जाने से सूचित किया।
- प्रधानमंत्री जन धन योजना के खातों एवं पेंशनर्स के खातों में आधार नंबर सीडिंग करना तथा डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण) लाभार्थियो को उनके खाते में होने वाले लेनदेन की जानकारी SMS के माध्यम से प्रदान करना भारत सरकार द्वारा अनिवार्य किए जाने से सूचित किया।
- राज्य में कार्यरत व्यवसाय संवाददाता (Business Correspondents) की संख्या, राज्य में स्थित कुल बैंक शाखाओं से अधिक होने पर संतोष व्यक्त करते हुए, व्यवसाय संवाददाता को और अधिक सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता बतलायी जिससे कि डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण) लाभार्थियो को दी जाने वाली सेवाएं प्रत्येक लाभार्थी के दरवाज़े तक पहुचायी जा सके।
- वित्तीय सेवाओं की मांग एवं बड़े ग्राहक आधार (Large Customer Base) को देखते हुए वित्तीय साक्षरता का अधिक से अधिक प्रसार किए जाने पर ज़ोर दिया।
- वित्तीय समावेशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन-धन योजना, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के क्रियांवयन में बैंकों की भूमिका की सराहना की तथा प्रधानमंत्री जन-धन योजना के शून्य बैलेंस खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से निधिकरण (Funding) कर जमा संग्रहण पर जोर दिया।
- बैंकों के बढ़ते हुए एन.पी.ए. स्तर पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होने वसूली हेतु एक माहौल बनाने की आवश्यकता पर बल देते हुए राज्य सरकार स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही कर सहयोग प्रदान करने हेतु अनुरोध किया।

अध्यक्ष महोदय ने वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सदस्य बैंक व अन्य हितधारकों के आपसी सहयोग व समन्वय से राज्य के सतत विकास प्रक्रिया के उद्देश्यों की प्राप्ति पर धन्यवाद भी ज्ञापित किया।

इसके पश्चात विभिन्न कार्यसूची पर चर्चा प्रारम्भ की गयी।

एजेण्डा क्रमांक –1 (1.1) विगत **129** वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

एजेण्डा क्रमांक –1 (1.2) कार्यवाही बिन्दु:-

1. **<u>ऑन-साईट ए.टी.एम .स्थापना</u>**

सदन को अवगत करवाया गया कि राज्य में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र की 4293 बैंक शाखाओं में से 3775 शाखाओं (87.93%), अन्य वाणिज्यिक बैंक की 991 शाखाओं में से 829 शाखाओं (83.65%), ग्रामीण बैंकों की 1431 शाखाओं में से 13 शाखाओं (0.91%), सहकारी बैंकों की 616 शाखाओं में से 15 शाखा (2.44%) में ही Onsite ATM की सुविधा उपलब्ध है अर्थात राज्य में कार्यरत कुल 7331 बैंक शाखाओं में से 4632 शाखाओं (63.18%) में Onsite ATM की सुविधा उपलब्ध है।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने सूचित किया कि पिछली बैठक के दौरान अध्यक्ष, बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने 50 तथा अध्यक्ष, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक ने 35 ए.टी.एम. सितम्बर 2016 तक स्थापित करने की प्रतिबद्धता दी थी, इस सम्बंध में अध्यक्ष, बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक को सदन के समक्ष टिप्पणी देने हेतु कहा गया।

अध्यक्ष, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक द्वारा अवगत करवाया कि उनके बैंक मे प्रायोजक बैंक (स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर) के ग्रुप लीडर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा ए.टी.एम. उपलब्ध करवाये जाते हैं तथा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा ए.टी.एम. उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया गया था लेकिन स्टेट बैंक ग्रुप का अधिग्रहण की कार्यवाही की वजह से देरी हो गई है, जैसे ही स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा ए.टी.एम. उपलब्ध करवाये जायेंगे हमारे बैंक द्वारा इस कार्य को प्राथमिकता देते हुए ए.टी.एम. स्थापित कर दिये जाएगे।

महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक ने राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक के द्वारा मार्च 2017 तक 35 ऑन-साईट ए.टी.एम. स्थापित करने का आश्वासन दिया।

अध्यक्ष, बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने सदन को अवगत करवाया गया कि उनके बैंक द्वारा 50 ऑन-साईट ए.टी.एम. स्थापित करने के लक्ष्य के सापेक्ष 40 ऑन-साईट ए.टी.एम. स्थापित कर दिए हैं तथा शेष ऑन-साईट ए.टी.एम. स्थापित करने हेतु कार्यादेश जारी कर दिए हैं, 10 सितम्बर' 2016 तक 50 White label ए.टी.एम. स्थापित कर दिये जाने से अवगत करवाया गया।

सदन को इस तिमाही के दौरान राज्य में सभी बैंको द्वारा 116 ऑन-साईट ए.टी.एम. स्थापित किए जाने से अवगत करवाया गया।

(**कार्यवाही :राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक / बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक**)

2 एवं 3. **Allotment of land to RSETIs Alwar & Bharatpur District and to start functioning of RSETI, Alwar**

शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग एवं स्टेट मिशन निदेशक, LP & SHG, राजस्थान सरकार ने आगामी महीने में आर सेटी के भूमि आवंटन से संबन्धित सभी मसलों को हल किए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किए जाने से आश्वास्त किया।

सदन को **पंजाब नेशनल बैंक द्वारा आर-सेटी, अलवर** को सरकार द्वारा वैकल्पिक अस्थायी भवन उपलब्ध करवाये जाने एवं आर-सेटी के सुचारू रूप से चालित होने से अवगत करवाया तथा आगामी बैठक में आर-सेटी, अलवर को कार्यवाही बिन्दु (ATR) से हटाने हेतु सूचित किया।

उप महाप्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक ने अवगत करवाया कि आर-सेटी, अलवर वर्तमान में अस्थायी भवन में खोला गया है। **आर सेटी, अलवर** को भूमि आवंटन करने का आवेदन जिला प्रशासन के स्तर पर विचाराधीन है। **शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार** को जिला प्रशासन से भूमि आवंटन करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करवाये जाने का अनुरोध किया।

अध्यक्ष एवं कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने आर-सेटी, अलवर को भूमि आवंटित किए जाने हेतु ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार से फोलो-अप किए जाने की आवश्यकता बतलायी ।

आर सेटी, भरतपुर को भूमि आवंटन करने हेतु पत्रावली शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार के स्तर पर विचाराधीन है। **शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार** से निर्णय हेतु अनुरोध किया गया ।

आर सेटी, सवाईमाधोपुर को आवंटित भूमि पर माननीय न्यायालय से स्थगन आदेश होने के कारण निर्माण कार्य बाधित हो गया है। संस्थान को वैकल्पिक भूमि आवंटित करने का आवेदन जिला प्रशासन के स्तर पर विचाराधीन है । **शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार** को जिला प्रशासन से भूमि आवंटन करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करवाये जाने का अनुरोध किया ।

आर सेटी, चित्तौड़गढ़ को जिला प्रशासन द्वारा भूमि आवंटित कर दी गई है। पत्रावली शासन सचिव, शहरी आवास विकास (UDH), राजस्थान सरकार के स्तर पर विचाराधीन है। **शासन सचिव, ग्रामीण** विकास विभाग, राजस्थान सरकार को जिला प्रशासन से भूमि आवंटन करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करवाये जाने का अनुरोध किया ।

शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग एवं स्टेट मिशन निदेशक, LP & SHG, राजस्थान सरकार ने अवगत करवाया कि राज्य में कार्यरत सभी आर-सेटी को राज्य सरकार द्वारा नि:शुल्क सरकारी भूमि का आवंटन किया जाता है तत्पश्चात भवन निर्माण कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा 1 करोड़ रुपये का अनुदान भी दिया जाता है, इसके बावजूद भी आर-सेटी स्तर पर उच्च शिक्षित संकाय सदस्यों की नियुक्ति नही की जाती जिससे प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार नही होता है। इस हेतु उच्च शिक्षित संकाय सदस्यों की नियुक्ति किए जाने के साथ ही प्रशिक्षित युवाओं के बैंक लिंकेज करवाने तथा कौशल विकास के साथ साथ प्रशिक्षु को स्वरोजगार दिलाये जाने अर्थात व्यवस्थापन दर (settlement rate) में अपेक्षित वृद्धि किये जाने बाबत बैंकों द्वारा सकारात्मक कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता बतायी ।

शासन सचिव, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग एवं आयुक्त रोजगार गारण्टी योजना, राजस्थान सरकार ने बताया कि ग्रामीण विकास विभाग की पहल पर प्रोजेक्ट लाईफ- मनरेगा {Livelihood of Full Employment (Life) Project} चलाया जा रहा है जिसमे ऐसे परिवार जिन्होने पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा अंतर्गत 100 दिन का कार्य किया है उनके एक इच्छुक युवा सदस्य का चयन कर प्रशिक्षण के माध्यम से उसका कौशल विकास किया जाता है, जिसमे आर-सेटी भी प्रशिक्षण देने हेतु एक पार्टनर है एवं इस वित्तीय वर्ष 2016-17 लगभग 35000 से अधिक कामगारों को प्रशिक्षित किया जाना है परंतु अभी प्रगति काफी कम है अत: आरसेटी प्रायोजक बैंकों से अनुरोध है कि योजनान्तर्गत आर-सेटी के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करते हुए उनका कौशल विकास करें तथा स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु प्रशिक्षित युवाओं को बैंक ऋण भी मुहैया कराये ।

(कार्यवाही: समस्त आरसेटी/रूढ़सेटी प्रायोजक बैंक एवं नियंत्रक, सदस्य बैंक, राजस्थान)

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने प्रतिक्रिया देते हुए राज्य सरकार को अवगत करवाया कि आरसेटी / रूढ़सेटी संस्थान मनरेगा कामगारों को प्रशिक्षण प्रदान करवा रहे हैं। हालांकि मोबिलाईज़ किये गये इच्छुक मनरेगा कामगार प्रशिक्षण हेतु बाकी नहीं है फिर भी चिन्हित शेष कामगारों को मोबिलाईज़ करने की लम्बी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुये राज्य सरकार से मोबिलाईजेशन में सहयोग करने पर ज़ोर दिया।

(कार्यवाही: ग्रामीण विकास एवं मनरेगा, राजस्थान सरकार, राज्य निदेशक, आरसेटी)

अध्यक्ष एवं कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा राज्य सरकार से आर-सेटी अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर एवं चित्तौड़गढ़ हेतु भूमि आवंटन का मामला शीघ्र निस्तारित करने हेतु अनुरोध किया गया।

(कार्यवाही :ग्रामीण विकास एवं राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार)

4. <u>Amendment in PDR Act, to include the Banks` dues under Government Sponsored programs as State dues under the definition of Financial Assistance for enabling the Banks to recover their dues:-</u>

आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट, 1952 में संशोधन सम्बन्धित प्रस्ताव को राजस्व विभाग के ड्रॉप करने के निर्णय पर पुनर्विचार करने के संबंध में लिखे पत्र के बारे में अवगत करवाया गया। इस क्रम में बैठक के **अध्यक्ष एवं कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा** एवं **संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान** द्वारा सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में बढते NPA को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार से एक्ट में संशोधन पर पुन: विचार करने हेतु अनुरोध किया गया।

संयुक्त सचिव, आयोजना विभाग ने राजस्व विभाग के साथ लगातार फोलोअप करने तथा मामले में कोई प्रगति नहीं होने से अवगत करवाया।

प्रसंगवश, संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने एनपीए (NPA) की बढ़ती घटनाओं से बैंकों की लाभप्रदता प्रभावित होने से अवगत करवाया तथा बताया कि वसूली बैंकों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है, अत: सरकार प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत लगातार बढ़ रहे एन.पी.ए. स्तर को देखते हुए राज्य सरकार से राजस्थान पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट, 1952 में संशोधन करने के सम्बन्ध में पुन: विचार करने हेतु अनुरोध किया।

विशिष्ठ शासन सचिव, राजस्व विभाग एवं निदेशक भू-अभिलेख, राजस्थान सरकार ने बताया कि एस.एल.बी.सी. स्तर से यह एजेंडा पिछले कई वर्षों से उठाया जा रहा है तथा पहले भी एक्ट में संशोधन हेतु मंत्री महोदय के समक्ष एजेंडा प्रस्तुत किया गया था, अब इस एक्ट में संशोधन करने के सम्बन्ध में पुन: विचार किया जायेगा तथा उन्होने इस संबंध में राज्य सरकार से पुनः पत्रावली पर कार्यवाही प्रारम्भ करने का आश्वासन दिया।

(कार्यवाही: राजस्व कॉलोनाईजेशन विभाग एवं आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार)

<u>एजेण्डा क्रमांक - 2:</u>

शाखा विस्तार: 30 जून 2016 तक राज्य में कुल 7331 बैंक शाखाएँ कार्यरत हैं। वित्तीय वर्ष 2016-17 की प्रथम तिमाही में बैंकों द्वारा कुल 45 शाखाएं खोली गयी, जिनमें से 42 (93.33%) शाखाएँ ग्रामीण व अर्धशहरी केन्द्रों में खोली गयी हैं।

जमाएँ व अग्रिम: 30 जून 2016 को राज्य में 9.06% वर्ष दर वर्ष वृद्धि के साथ कुल जमाएँ रूपये 2,81,688 करोड़ तथा कुल अग्रिम 4.18% वर्ष दर वर्ष ऋणात्मक वृद्धि के साथ कुल ऋण रूपये

2,18,831 करोड़ रहे हैं। वाणिज्य तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जमाओं में वर्ष दर वर्ष वृद्धि क्रमश: 9.54% तथा 14.17% रही है लेकिन को-ऑपरेटिव बैंकों की जमाओं में वर्ष दर वर्ष वृद्धि ऋणात्मक 3.40% प्रतिशत रही जिससे राज्य की वर्ष दर वर्ष वृद्धि प्रभावित हुई है।

प्रतिनधि, को-ऑपरेटिव बैंक ने चालू वर्ष के दौरान जमाओं में आशातीत वृद्धि हेतु समुचित प्रयास किये जाने से सूचित किया।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने ऋणों में वर्ष दर वर्ष 4.18% की ऋणात्मक वृद्धि का मुख्य कारण राज्य में बैंकों द्वारा डिस्कोम को स्वीकृत 31,000 करोड़ रूपये (लगभग) की ऋण सुविधा का उदय स्कीम के अंतर्गत बॉण्ड में रूपान्तरित होना बताया। उन्होने अवगत करवाया कि यदि डिस्कोम फेक्टर को निकाल देवें तो वर्ष दर वर्ष वृद्धि 10.87% दर्ज हुई है। वाणिज्य तथा को-ऑपरेटिव बैंकों के ऋणों में वर्ष दर वर्ष ऋणात्मक वृद्धि क्रमश: 5.69% तथा 1.51% रही है लेकिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ऋणों में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 18.55% प्रतिशत रही है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदत्त ऋण: 30 जून 2016 को राज्य में 15.69% वर्ष दर वर्ष वृद्धि के साथ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदत्त ऋण रूपये 1,48,394 करोड़ रहा है।

कृषि क्षेत्र को प्रदत्त ऋण: 30 जून 2016 को राज्य में 17.93% वर्ष दर वर्ष वृद्धि के साथ कृषि क्षेत्र को प्रदत्त ऋण रूपये 81,987 करोड़ रहा है।

सूक्ष्म व लघु उद्यम एवं अन्य प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण: 30 जून 2016 को राज्य में 13.04% वर्ष दर वर्ष वृद्धि के साथ सूक्ष्म व लघु उद्यम एवं अन्य प्राथमिकता क्षेत्र को प्रदत्त ऋण रूपये 66,407 करोड़ रहा है।

कमजोर वर्ग को ऋण: 30 जून 2016 को राज्य में 20.26% वर्ष दर वर्ष वृद्धि के साथ कमजोर वर्ग को प्रदत्त ऋण रूपये 48,457 करोड़ रहा है।

अल्पसंख्यक समुदाय को ऋण: 30 जून 2016 को राज्य में 21.55% वर्ष दर वर्ष वृद्धि के साथ अल्पसंख्यक समुदाय को प्रदत्त ऋण रूपये 12,960 करोड़ रहा है।

राज्य में **कुल अग्रिमों** का **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को** अग्रिम 67.81%, **कृषि क्षेत्र** को 37.47%, **कमजोर वर्ग** को 22.11%, **लघु एवं सूक्ष्म कृषकों** को 14.03% तथा सूक्ष्म उद्यमियों को 10.89% रहा है जो कि निर्धारित बैंचमार्क से अधिक है।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि जून 2015 की तुलना में जून 2016 में विभिन्न पैरामीटर्स यथा जमा, अग्रिम, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम तथा कमजोर वर्ग में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गयी है जिसका मुख्य कारण एनपीए (NPA) का बढ़ना रहा है, फलस्वरूप बैंकों का मुख्य फोकस वसूली की तरफ होना रहा है।

साख जमा अनुपात (CD Ratio): 30 जून 2016 को राज्य में साख जमा अनुपात 80.03% रहा हैं। जिला स्तर पर 7 जिलों का साख जमा अनुपात 100% से अधिक रहा हैं, 20 जिलों का साख जमा अनुपात 60% से 100% के बीच तथा 3 जिलों का साख जमा अनुपात 50% से 60% के बीच रहा है व

तीन जिलों यथा डूंगरपुर, राजसमन्द तथा सिरोही में यह अनुपात 40% से 50% के बीच क्रमशः 40.24%, 42.83% व 44.51% रहा है।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने सूचित किया कि साख जमा अनुपात वृद्धि में आ रहे अवरोधकों के कारणों का विश्लेषण करने हेतु LDM DDM-NABARD, DPM-RGAVP तथा SLBC प्रतिनिधि की कमेटी गठित की गई थी तथा कमेटी की रिपोर्ट 129वीं एस.एल.बी.सी. बैठक में प्रस्तुत कर दिये जाने से अवगत करवाया।

प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज ने डूंगरपुर, राजसमन्द व सिरोही (तीन जिलों) में साख जमा अनुपात को बढ़ावा देने हेतु इन जिलों में बैंको द्वारा स्वयं सहायता समूह को वित्तपोषित करने, प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत ग्रामीण व्यक्तियों को वित्तपोषित किए जाने तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत टॉयलेट निर्माण करने हेतु वित्तपोषित किये जाने पर जोर दिया।

(कार्यवाहीः समस्त नियंत्रक, सदस्य बैंक, राजस्थान)

मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने अवगत करवाया कि हाल ही में उदयपुर जिले में राजीविका, RGAVP द्वारा आयोजित राष्ट्रीय बैंकर्स कार्यशाला में भाग लेने के दौरान RBI द्वारा कुछ स्वयं सहायता समूह के साथ आंतरिक बैठकों का आयोजन भी किया गया जिनमे संज्ञान मे आया है कि योग्य तथा पहले से स्थापित स्वयं सहायता समूहों को कम वित्तपोषण (Under Finance) किया जा रहा है तथा 2nd dose के अंतर्गत दिये जाने वाला ऋण भी पर्याप्त मात्रा में नहीं दिया जा रहा है, तीनों जिलों डूंगरपुर, राजसमन्द व सिरोही में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए ताकि साख जमा अनुपात को बढ़ावा दिया जा सके।

शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग एवं स्टेट मिशन निदेशक, LP & SHG, राजस्थान सरकार ने कहा कि डूंगरपुर, राजसमन्द व सिरोही जिले जिनका साख जमा अनुपात कम है लेकिन वहाँ के स्वयं सहायता समूह द्वारा नियमित ऋण अदायगी की जा रही है तो ऐसे समूह को 2nd dose के अंतर्गत दिये जाने वाला ऋण भी पर्याप्त मात्रा में दिया जाना चाहिए ताकि साख जमा अनुपात को बढ़ाया जा सके।

शासन सचिव, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग एवं आयुक्त रोजगार गारण्टी योजना, राजस्थान सरकार ने मनरेगा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजीविका के साथ संमिलन (convergence) स्थापित कर बागवानी करने, वृक्षारोपण करने, पशु शेड बनाने, भूमि समतल करने, भूमि के सीमांकन हेतु, फार्म पॉण्ड बनाने तथा टाँका बनाने जैसे कार्य स्वयं सहायता समूह की आजीविका उपार्जन को बढ़ावा देने हेतु किए जाने से अवगत करवाया तथा यह भी बताया कि राजीविका के 96% स्वयं सहायता समूहों द्वारा ऋणों की नियमित अदायगी की जा रही है। अत: सभी बैंकों को स्वयं सहायता समूहों को ऋण देने में रूचि दिखानी चाहिए।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने गैर कृषि कार्य हेतु स्वयं सहायता समूह को दिया गया ऋण **'मुद्रा ऋण'** के अंतर्गत वर्गीकृत होने से सदन को अवगत करवाया।

मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड ने अवगत करवाया कि पिछले वर्ष जिला स्तर पर क्षेत्र विशेष हेतु बनाई गई योजनाओं पर आधारित पोटेंशियल लिंक्ड योजना (Potential Linked Plan) का कई जिलो में प्रस्तुतीकरण (Presentation) किया गया था तथा इस वर्ष भी किसी जिले में पोटेंशियल लिंक्ड

योजना का प्रस्तुतीकरण करने की आवश्यकता महसूस की जाती है तो नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है, नाबार्ड द्वारा संबन्धित DDM /LDM से संपर्क कर प्रस्तुतीकरण का आयोजन करवाने में सहयोग किया जाएगा।

महाप्रबंधक, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम, राजस्थान सरकार ने अवगत करवाया कि RSLDC से प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों एवं ITI अभ्यर्थियों का ऋण आवेदन **'आवेदन योग्य नही होने का कारण'** अंकित करते हुए विभिन्न बैंकों द्वारा लौटाए जाने से सूचित किया तथा सभी बैंकों से अनुरोध किया कि RSLDC से सर्टिफिकेट प्राप्त लाभार्थियों का ऋण आवेदन अतार्किक कारणों से नहीं लौटाया जाये।

महाप्रबंधक, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम ने भारतीय बैंक संघ (IBA) द्वारा कौशल विकास हेतु अनुमोदित योजना में कौशल विकास हेतु ऋण देने पर राजस्थान सरकार द्वारा 6% तक ब्याज अनुदान प्रदान किये जाने की योजना को लागू करने के राज्य सरकार के निर्णय से भी अवगत करवाया। **अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान** ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य सरकार व संबंधित विभाग भारतीय बैंक संघ द्वारा अनुमोदित कौशल ऋण योजना में निहित पात्रता मानदंडो के अधीन संस्थानों / संगठनो को अधिसूचित कर, ब्याज अनुदान के क्लेम की प्रक्रिया पूर्व निश्चित कर SLBC को अनुमोदन हेतु उपलब्ध करवायें।

(कार्यवाही: राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम, राजस्थान सरकार)

वार्षिक साख योजना के तहत प्रगति: वार्षिक साख योजनांतर्गत वर्ष 2016-17 हेतु निर्धारित लक्ष्यों (वार्षिक) के सापेक्ष कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में प्रथम तिमाही की उपलब्धि 31.92% रही। त्रैमासिक लक्ष्यों के सापेक्ष यह प्रगति 127 % रही है। विभिन्न उप क्षेत्रों के तहत कृषि में 26.49%, सूक्ष्म व लघु उघम क्षेत्र में 66.44%, अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 16.74% की उपलब्धि वर्ष की प्रथम तिमाही में दर्ज की गई।

सदन को वार्षिक साख योजनांतर्गत वर्ष 2016-17 हेतु निर्धारित लक्ष्यों (वार्षिक) के सापेक्ष वाणिज्यिक बैंकों ने 37.14%, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 20.37% तथा को-ऑपरेटिव बैंक ने 24.91% की उपलब्धि प्रथम तिमाही में दर्ज की है।

सदन को अवगत करवाया कि पिछली बैठक के दौरान **प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार** ने वार्षिक साख योजना से सम्बंधित अन्य नजदीकी राज्यों के आंकड़े प्राप्त कर राज्य की प्रगति की तुलनात्मक समीक्षा करने हेतु निर्देशित किया गया था, इस हेतु नजदीकी राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड इत्यादि राज्यों से वार्षिक साख योजना वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के आंकड़े प्राप्त कर तुलनात्मक समीक्षा की गई, जिसमें राजस्थान राज्य की प्रगति को सर्वाधिक संतोषप्रद बताया।

मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने जिन राज्यों का साख जमा अनुपात राजस्थान के समतुल्य है उन राज्यों के आंकड़े प्राप्त कर वार्षिक साख योजना के अंतर्गत राज्य की प्रगति की तुलनात्मक समीक्षा आगामी बैठक में करने हेतु निर्देशित किया।

(कार्यवाही: राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान)

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने इंगित किया कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा कॉपरेटिव बैंकों की वार्षिक साख योजना अंतर्गत जून 2016 तिमाही में सूक्ष्म व लघु उपक्रम एवं अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में प्रगति लक्ष्य के सापेक्ष कम रही है एवं इन क्षेत्रों में विशेषकर ध्यान देने की आवश्यकता बतलायी।

(कार्यवाही: BRKGB/RMGB/कॉपरेटिव बैंक, राजस्थान)

<u>एजेण्डा क्रमांक – 3- Preparation of Financial Inclusion Plan (FIP) - 2016-19</u>

बैंक ऑफ बड़ौदा, धनलक्ष्मी बैंक, आईडीबीआई बैंक, एस.बी.बी.जे. एवं यूनियन बैंक के अलावा अन्य बैंकों ने RBI के दिशानिर्देशानुसार बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित वित्तीय समावेशन प्लान "**अप्रेल 2016 से मार्च 2019"** निर्धारित प्रारूप में एस.एल.बी.सी. को प्रस्तुत नहीं किया है।

मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने शेष रहे बैंको को वित्तीय समावेशन प्लान **अप्रेल 2016 से मार्च 2019** एस.एल.बी.सी. को शीघ्र प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया।

{कार्यवाही: समस्त नियंत्रक, सदस्य बैंक, राजस्थान (शेष बैंक)}

<u>Roadmap for coverage of villages having population > 5000 (As per census 2011):</u>

सदन को 5000 से अधिक आबादी वाले बैंक रहित गॉवों को कवर करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों से अवगत करवाते हुए एस.एल.बी.सी. द्वारा अग्रणी जिला प्रबंधकों के सहयोग से -171- बैंक रहित गॉव चिन्हित कर विभिन्न बैंकों के मध्य आवंटित करने एवं भारतीय रिजर्व बैंक को रोडमैप प्रस्तुत कर दिये जाने के बारे में सूचित किया गया।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने मार्च 2016 तिमाही तक उक्त रोड़मैप के अंतर्गत 5 नयी बैंक शाखाएं खोलने से सूचित किया तथा शेष 166 शाखाएं वित्तीय वर्ष 2016-17 में खोले जाने हेतु नियंत्रक बैंकों से अनुरोध किया तथा सूचित किया कि जून, 2016 तिमाही में केवल BRKGB द्वारा 1 शाखा खोली गई है।

मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा बजट घोषणा के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में 500 शाखाएँ खोलने के लक्ष्य को RBI के 5000 से अधिक आबादी वाले बैंक रहित गॉवों में शाखाएं खोलने के प्लान के साथ मैंपिंग (Mapping) करने हेतु निर्देशित किया तथा समस्त बैंकों को 10 अक्टूबर 2016 तक रोड़मेप SLBC को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया।

(कार्यवाही: नियंत्रक, सदस्य बैंक, राजस्थान)

मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि ऐसी लोकेशन जहां शाखाएं खोलना व्यवहार्य नहीं है तथा कम दूरी पर बैंक शाखा पहले से ही संचालित है तो रोड़मेप में आवंटित कम दूरी पर दूसरी बैंक शाखा खोलने की छूट (exempt) हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय को अनुरोध किया जा सकता है।

{कार्यवाही: समस्त नियंत्रक, सदस्य बैंक, राजस्थान (रोड़मेप में आवंटित शाखा वाले बैंक)}

महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक ने बताया कि SBBJ का SBI में प्रस्तावित विलय के पश्चात नजदीकी में संचालित शाखाओं का भी विलय होना है तथा RBI के 5000 से अधिक आबादी वाले बैंक रहित

गॉवों में शाखाएं खोलने के रोड़मेप में आवंटित ऐसी लोकेशन जहां शाखाएं खोलना व्यवहार्य नहीं है, उन लोकेशन पर बैंक शाखा खोलने की छूट (Exemption for Opening of Branch) हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय को अनुरोध किया जाएगा तथा ऐसी लोकेशन पर अल्ट्रा स्माल शाखा (USB) खोले जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने से अवगत करवाया।

Mapping of Gram Panchayat for coverage through Branch/BCA/CSCs/ for Direct Benefit Transfer –Sub Service Area Approach

सदन को अवगत करवाया गया कि राजस्थान सरकार ने वर्ष 2014-15 में कुल 803 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया है तथा आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार ने 724 नई ग्राम पंचायतों की सूची राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति को उपलब्ध करवाई है।

आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार से प्राप्त नई ग्राम पंचायतों की सूची को संबन्धित अग्रणी जिला प्रबन्धकों को भेजकर निम्न निर्देशों की पालना करते हुए 724 ग्राम पंचायते विभिन्न बैंको को आवंटित कर दी गई हैं:

"वित्तीय सेवाए विभाग, वित्त मंत्रालय के निर्देशानुसार लोगों तक बैंकिंग सेवाए पहुचाने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में बैंकिंग आउटलेट स्थापित किया जाना नितांत आवश्यक हैं। चूंकि नवगठित ग्राम पंचायत किसी न किसी पूर्व विधमान ग्राम पंचायत से विभाजित कर गठित की गई है। अत: जिस बैंक को पूर्व में विधमान ग्राम पंचायत (SSA) में बैंकिंग आउटलेट स्थापित करने हेतु आवंटित की गई थी, उसी बैंक की नवगठित ग्राम पंचायत (SSA) में भी बैंकिंग आउटलेट स्थापित करने की मूल ज़िम्मेदारी होगी"।

Progress under PMJDY

सदन को प्रधानमंत्री जन-धन योजनांतर्गत राज्य में 1.79 करोड़ खाते खोले जाने तथा 83% खातों में रूपे कार्ड जारी होने, 48% रूपे कार्ड सक्रिय होने तथा 60% खातों में आधार सिडिंग होने से अवगत करवाया गया।

सामाजिक सुरक्षा योजनाएं (Social Security Schemes)

सदन को सामाजिक सुरक्षा योजनान्तर्गत जुलाई 2016 तक कुल 54,33,913 नामांकन होने से अवगत करवाया गया ।

समस्त बैंक **सामाजिक सुरक्षा योजनाओं** क्रमश: प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं अटल पेन्शन योजना अंतर्गत लाभार्थियों के स्वत: नवीनीकरण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही: समस्त नियंत्रक, सदस्य बैंक, राजस्थान)

निदेशक, वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं (PMSBY व PMJJBY) की प्रगति के साथ क्लेम निस्तारण / बकाया की स्थिति भी आगामी SLBC बैठक के एजेन्डा प्रस्तुतिकरण में दर्शाने हेतु आग्रह किया ।

{कार्यवाही: राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान / नोडल बीमा कम्पनी (LIC व OICL)}

Spread of Financial Literacy in ITIs /Skilling Centre

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने वितीय समावेशन के साथ-साथ वित्तीय साक्षरता के अधिकाधिक प्रसार पर बल देते हुए कहा कि एवं एस.एल.बी.सी. द्वारा मैप किए गए वित्तीय साक्षरता केन्द्रो (FLCs) एवं बैंक शाखाओं के माध्यम से सरकारी व गैर सरकारी ITIs, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोजेक्ट्स (VTPs) और ऑपरेशनल केंद्र (OCS) जैसे कौशल विकास केन्द्रों मे वित्तीय साक्षरता का प्रचार प्रसार करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

(कार्यवाही: समस्त नियंत्रक, सदस्य बैंक, राजस्थान)

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सचिव, आयोजना, राजस्थान सरकार, प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, राजस्थान सरकार एवं प्रबंध निदेशक, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम एवं मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य स्तरीय वित्तीय समावेशन कार्यान्वयन समिति की प्रथम बैठक में सरकारी व गैर सरकारी ITIs व अन्य कौशल विकास केंद्रों में बैंकों के माध्यम से वित्तीय साक्षरता प्रसार हेतु सहयोग प्रदान करने के दिशा निर्देश ITIs को जारी करने हेतु अनुरोध किया गया। हमारे द्वारा हर स्तर पर लगातार अनुरोधों के उपरांत भी आदेश जारी नहीं किए जाने के कारण अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने की वित्तीय साक्षरता केन्द्रों से सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं।

महाप्रबंधक, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम, राजस्थान सरकार ने बताया कि सभी ITIs को वित्तीय साक्षरता प्रसार में सहयोग प्रदान करने के दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं तथा आदेशों की प्रति राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति को उपलब्ध करवाई जाएगी।

(कार्यवाही: आयोजना विभाग एवं उच्च एवं तकनीकी शिक्षा / RSLDC)

PMJDY – Issues:

1. भामाशाह योजना

सदन को अवगत करवाया गया कि भामाशाह योजना के तहत लगभग 1.20 करोड़ परिवारों का नामांकन किया जा चुका है।

2. कनेक्टिविटी

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने कनेक्टिविटी की समस्या से निवारण हेतु नाबार्ड द्वारा एफआईएफ से सौर उर्जा चालित वी-सैट स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने एवं नाबार्ड से 6 बैंकों के द्वारा उपरोक्त वी-सेट (V-SAT) स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता की सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त कर लिये जाने से सूचित किया।

मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड ने बैंकों को ओपेक्स (Opex) एवं कैपेक्स (Capex) मॉडल के अंतर्गत सौर उर्जा चालित वी-सैट तथा बिना सौर ऊर्जा चालित वी-सैट स्थापित करने हेतु नाबार्ड से एफआईएफ (FIF) से सहायता प्रदान किये जाने से भी सदन को अवगत करवाया।

मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य सरकार के कनेक्टिविटी चैनल राजनेट के माध्यम से जिन स्थानों पर शाखा /बी.सी. संचालित करने में कनेक्टिविटी की समस्या है वहाँ पर कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने हेतु सूचना प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध किया।

(कार्यवाही: सूचना प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान सरकार)

मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को सलाह दी कि जिन स्थानों पर उनकी शाखा या बी.सी. एजेन्ट कियोस्क संचालित करने में कनेक्टिविटी की समस्या है वहाँ राजनेट से कनेक्टिविटी लेने हेतु उन स्थानों की सूची संबन्धित विभाग को तथा प्रति एस.एल.बी.सी. को उपलब्ध करवायें।

(कार्यवाही: समस्त नियंत्रक, सदस्य बैंक, राजस्थान)

मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक एवं निदेशक, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार ने आगामी बैठक में भारत सरकार निगम लि. (BSNL) को आमंत्रित करने हेतु निर्देशित किया तथा राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने हेतु भारत संचार निगम लि. (BSNL) एवं दूरसंचार विभाग से अनुरोध किया।

(कार्यवाही: राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान / BSNL)

अतिरिक्त निदेशक, सूचना प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान सरकार ने अवगत करवाया कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक अटल सेवा केंद्र पर बैंक शाखा खोलने / बीसी कियोस्क स्थापित करने का स्थान, कनेक्टिविटी तथा बिजली की व्यवस्था उपलब्ध करवायी जाती है।

3. <u>स्कूली बच्चों हेतु वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम</u>

राज्य में 2427 स्कूलों में बैंकों द्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमे 156244 विद्यार्थियों ने भाग लिया तथा 144098 विद्यार्थियों को वित्तीय साक्षरता सामग्री वितरित की गई।

4. <u>बैंक शाखा खोलने हेतु बजट घोषणा वित्तीय वर्ष 2016-17</u>

सदन को अवगत करवाया गया कि बजट घोषणा वित्तीय वर्ष 2016-17 में माननीया मुख्यमंत्री ने 500 शाखाए खोलने हेतु घोषणा की है तथा शाखा विस्तार योजना अंतर्गत बैंकों द्वारा वर्ष 2016-17 में 353 शाखाएं खोलने का रोड़मेप प्रस्तुत किया है जो कि आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार को प्रेषित कर दिया गया है तथा दिनांक 30.06.2016 तक बैंकों द्वारा राज्य में 45 शाखाएं खोली जा चुकी हैं।

5. <u>Constitution of State Level Financial Inclusion Committee (SLFIC)</u>

सदन को अवगत करवाया गया कि विभिन्न योजनाओं यथा प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना (PMJJBY), अटल पेंशन योजना (APY), तथा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के सफल संचालन / मॉनिटरिंग हेतु राज्य स्तरीय वित्तीय समावेशन समिति का गठन किया गया, जिसकी प्रथम बैठक दिनांक 23.05.2016 को मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में आयोजित की गई तथा बैठक के दौरान आधार कार्ड सिडिंग, रूपे कार्ड वितरण एवं एक्टिवेशन मुद्दे पर चर्चा की गयी तथा राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे **"न्याय आपके द्वार"** केम्पों में बैंकों को आधार सिडिंग, रूपे कार्ड वितरण एवं एक्टिवेशन के

लिए केम्पों में भागीदारी करने हेतु निर्देशित किया गया । समिति की दूसरी बैठक मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 08.08.2016 को मुद्रा योजना की समीक्षा के लिए आयोजित की गयी।

(कार्यवाही: समस्त नियंत्रक, सदस्य बैंक, राजस्थान)

मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार द्वारा सभी जिला क्लक्टर्स को SARFAESI (सरफेसी) एक्ट में दायर मामलों में बैंकों को आवश्यक सहयोग प्रदान करने तथा वसूली में व्यक्तिगत रूचि लेकर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किये जाने से सदन को अवगत करवाया गया ।

बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने सरफेसी से सम्बंधित लम्बित मामले में जिला कलेक्टर,कोटा से आवश्यक सहयोग प्राप्त नही होने पर सदन को अवगत करवाया, जिस पर संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने मामलें को पूर्व में ही राज्य सरकार के साथ टेकअप करने से सूचित किया गया एवं राज्य सरकार से पुनः सभी कलक्टर्स को आवश्यक सहयोग देने हेतु आग्रह किया ।

(कार्यवाही : आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार)

शासन सचिव, मनरेगा, राजस्थान सरकार ने राज्य सरकार की मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के अंतर्गत जल संरक्षण के द्वित्तीय चरण में पर्यावरण के संरक्षण व पोषण हेतु बैंकों से सहयोग की अपील की ।

(कार्यवाही: समस्त नियंत्रक, सदस्य बैंक, राजस्थान)

6. <u>बैंक खातों में आधार सीडिंग</u>

शासन सचिव, मनरेगा, राजस्थान सरकार ने विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं यथा मनरेगा, वृद्धावस्था पेंशन इत्यादि के खातों में राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध करवायी जाने वाली सूची के आधार पर Bulk आधार सीडिंग हेतु बैंकों से पुनः आग्रह किया गया ।

मामला वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार को संदर्भित किया गया है तथा दिशानिर्देश प्रतिक्षित हैं । इस सम्बंध में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति को मामले को वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार से अनुवर्तन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया ।

(कार्यवाही: राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान)

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं यथा मनरेगा, वृद्धावस्था पेंशन इत्यादि के खातों में आधार सीडिंग करने की कार्यवाही हेतु अनुरोध किया।

7. <u>स्टेण्ड अप इण्डिया योजना की राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति का गठन</u>

स्टेण्ड अप इण्डिया योजना के प्रभावी रूप से क्रियान्विति हेतु राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति का गठन के आदेश राज्य सरकार से दिनांक 22.08.2016 को जारी किये जा चुके हैं । समिति की प्रथम बैठक का आयोजन राज्य सरकार से माननीय विधायकों का सदस्य के रूप में मनोनयन करने के उपरांत प्रस्तावित है ।

8. <u>राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति - आर सेटी</u>

सदन को अवगत करवाया कि राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति - आर सेटी का गठन किया जाकर प्रथम बैठक का आयोजन दिनांक 08.08.2016 को शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में किया गया एवं बैठक के कार्यवृत टेबल एजेंडा के रूप में सदन में प्रस्तुत किए गये हैं।

9. <u>प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) आधारित दो केन्द्र प्रायोजित छात्रवृत्ति योजनायें</u>

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) आधारित दो केन्द्र प्रायोजित छात्रवृत्ति योजनायें क्रमश: प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए) के लाभार्थियों के खाते खोलना तथा उनमें आधार सिडिंग की कार्यवाही करने हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही: समस्त नियंत्रक, सदस्य बैंक, राजस्थान)

10. <u>बी.सी. कार्यशीलता पर उप समिति बैठक</u>

सदन को अवगत करवाया कि एस.एल.बी.सी. के तत्वाधान में बी.सी. की सक्रियता को जांचने हेतु एक उप समिति का गठन किया गया है। समिति के सदस्यों यथा DDM नाबार्ड, LDM तथा DPM राजीविका के द्वारा बी.सी. लोकेशन की विजिट करके बी.सी. कार्यपद्धति में आ रही बाधाओं का पता लगाया गया तथा बीसी को आ रही समस्याओं पर आवश्यक सुझाव रिपोर्ट एस.एल.बी.सी. को प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार बी.सी. कार्यपद्धति में बाधा का मुख्य कारण कनेक्टिविटी की समस्या तथा इसके अलावा बीसी लोकेशन पर डिस्प्ले बोर्ड का नहीं होना, बीसी के पास किट की अनुपलब्धता, जैकेट इत्यादि सुविधाओं की अनुपलब्धता, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के फार्म की अनुपलब्धता, बीसी लोकेशन पर e-KYC सुविधा का नहीं होना, आधार आधारित भुगतान प्रणाली का बीसी लोकेशन पर सक्रिय नहीं होना, लिंक शाखा द्वारा उचित सहयोग नहीं मिलना, बीसी लोकेशन पर पास बुक प्रिंटिग की सुविधा का अभाव होना, अटल सेवा केंन्द्रों पर बिजली हेतु इन्वर्टर सुविधा उपलब्ध नहीं होना तथा बीसी के पास माइक्रो एटीएम / POS / PIN PAD की सुविधाओं की अनुपलब्धता के बारे मे सदन मे चर्चा की गई।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने सभी बैंकों तथा सेवा प्रदाता कम्पनियों से बी.सी. को उचित संसाधन एवं सहयोग प्रदान करने हेतु अनुरोध किया।

शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान सरकार ने E-Mitra को अतिरिक्त बी.सी. बनाये जाने, बी.सी. को उचित पारिश्रमिक दिये जाने तथा बी.सी. द्वारा अच्छा कार्य करने पर प्रोत्साहन राशि दिये जाने की आवश्यकता बतलायी।

अध्यक्ष एवं कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने सभी बैंकों को बी.सी. सक्रियता की प्रभावी मॉनिटरिंग, बी.सी. को समुचित सहयोग, मार्गदर्शन तथा बी.सी. को प्रेरित करने हेतु निर्देशित किया साथ ही निष्क्रिय बी.सी. लोकेशन चिन्हित कर बी.सी. को तुरंत प्रभाव से प्रतिस्थापित (Replace) किये जाने तथा इन लोकेशन पर ई-मित्र को अतिरिक्त बी.सी. के रूप में नियुक्त किये जाने से निर्देशित किया।

(कार्यवाही: समस्त नियंत्रक, सदस्य बैंक, राजस्थान)

11. <u>SBBJ के SBI में विलय के पश्चात कार्यालयों SBI को स्थानांतरित करने का अनुमोदन</u>

SBBJ बैंक द्वारा प्रायोजित 8 RSETI's एवं 9 अग्रणी बैंक कार्यालयों को SBI में विलय के पश्चात SBI को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु सदन के समक्ष रखा गया, सदन द्वारा उक्त प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

<u>एजेण्डा क्रमांक – 4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना</u>

सदन को राज्य में प्रोविज़नल आंकड़ों के अनुसार लगभग 39 लाख से अधिक किसानों का फसल बीमा किए जाने से अवगत करवाया गया तथा निदेशक, कृषि, राजस्थान सरकार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर विस्तृत जानकारी देने हेतु आमंत्रित किया गया।

निदेशक, कृषि, राजस्थान सरकार ने भारत सरकार द्वारा फसल बीमा हेत् मौजूदा योजनाओं यथा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS) एवं संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (MNAIS) के स्थान पर **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना** की श्रुआत होने से अवगत करवाया तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पहले की फसल बीमा योजनाओं से कुछ बिंदुओ पर भिन्न होने से सूचित किया।

1. **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना**न्तर्गत खरीफ फसलों के लिए बीमा प्रीमियम दर अधिकतम 2% तक, रबी फसलों के लिए बीमा प्रीमियम दर अधिकतम 1.5% तक तथा वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के मामले में बीमा प्रीमियम दर अधिकतम 5% तक होने की जानकारी दी।
2. सरकार द्वारा देय प्रीमियम राशि पर 11% का CAP को हटा दिये जाने से सूचित किया।
3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत चक्रवात, वर्षा / बैमौसमी वर्षा, ओलावृष्टि, भू-स्खलन व जल प्लावन की स्थानीय आपदाओं से अधिसूचित फसल की क्षति का आकलन व्यक्तिगत बीमित कृषक के स्तर पर किये जाने के प्रावधान से अवगत करवाया तथा योजना के तहत सर्वेयर द्वारा क्षति का आकलन विभिन्न संबंधित अधिकारियों की संयुक्त सहमति से कर सर्वेक्षण के आधार पर फसल की क्षति का प्रतिशत निर्धारित किये जाने से अवगत करवाया।

निदेशक, कृषि, राजस्थान सरकार ने अवगत करवाया कि प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (PACS) के कोर बैंकिंग सिस्टम (CBS) से connect नहीं होने से कृषकों द्वारा दोहरा बीमा करवा लिया जाता है तथा सरकार को अधिक प्रीमियम अंशदान राशि देय करनी पड़ती है एवं मौसम विशेष के लिए बोई गई फसल से अधिक क्षेत्रफल का बीमा हो जाता है अत: राज्य सरकार ने दोहरे बीमा एवं देय Excessive प्रीमियम को रोकने तथा बोई गई अधिसूचित फसल का ही बीमा करने के लिए वेब आधारित पोर्टल तैयार किए जाने से सदन को सूचित किया तथा पोर्टल का ऑनलाइन DEMO सदन में प्रस्तुत किया गया तथा पोर्टल की क्रियान्विति के संबंध में कृषि विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा सभी बैंकों को विस्तृत रूप से अवगत करवाए जाने से भी सूचित किया।

निदेशक, कृषि, राजस्थान सरकार ने वेब आधारित पोर्टल पर डाटा एन्ट्री कार्य शाखा स्तर पर किए जाने से अवगत करवाया तथा एन्ट्री e-Mitra स्तर से किये जाने की बजाए इस पोर्टल की access बैंक के आंतरिक नेटवर्क के साथ करने हेत् सभी बैंकों के स्टेट हैड से अन्रोध किया कि बैंक के संबन्धित IT विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशानिर्देश प्रदान करते हुए इस पहल को सफल बनाने में योगदान दें।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने सभी सदस्य बैंकों के साथ पोर्टल की क्रियान्विति के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान करने एवं इस कार्य में शाखाओं में स्टॉफ की उपलब्धता, खर्च लागत, सीबीएस प्रणाली की सुरक्षा संबंधी मुद्दों, बैंकों को उच्चाधिकारियों से अनुमति हेतु राज्य सरकार के प्रस्ताव इत्यादि पर चर्चा हेतु बैठक आयोजित करने के लिए निदेशक, कृषि, राजस्थान सरकार से अनुरोध किया।

अध्यक्ष, बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने बीमा कम्पनी द्वारा कमीशन का भुगतान नही करने एवं बीमा कम्पनी को प्रेषित ज्यादा प्रीमियम की राशि वापिस नही लौटाने जाने हेतु सदन को दुबारा अवगत करवाया। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर तथा पंजाब नेशनल बैंक द्वारा सदन को जिला चूरू में रबी फसल बीमा वर्ष 2013-14 की लम्बित संशोधित क्लेम की राशि को सम्बंधित कृषको के बैंक खातों में जमा नहीं करने के मामले से भी अवगत करवाया गया। भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा भी अवगत करवाया गया कि उनके किसान क्रेडिट कार्ड धारको के फसल बीमा दावा क्लेम बोई गयी फसल एवं गिरदावरी में अंकित फसल में अंतर के आधार पर बीमा कंपनी द्वारा निरस्त किए गए हैं।

इस संबंध में **निदेशक, कृषि, राजस्थान सरकार** ने उक्त मामलो में समाधान किये जाने के लिए बैठक आयोजित करने बाबत आश्वासन दिया।

(कार्यवाही: निदेशक, कृषि, राजस्थान सरकार)

<u>वसुली- Recovery</u>

बैंकों की गैर-निष्पादित आस्तियों विशेषकर कृषि एवं सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के ऋण मामलों में लगातार हो रही वृद्धि की दशा में राज्य सरकार से बैंक ऋण वसूली हेतु समुचित कदम उठाये जाने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही: आयोजना एवं राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार)

सदन को मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान कृषि ऋण संक्रिया (कठिनाई का निवारण) अधिनियम, 1974 एवं राजस्थान कृषि साख प्रचलन (कठिनाई एवं निवारण) नियम (रोडा एक्ट), 1976 के प्रावधानों के तहत जिला कलेक्टर्स को राजस्व कर्मचारियों के सहयोग से बकाया बैंक ऋणों की वसूली के लिए प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किये जाने के बारे में अवगत करवाया।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार से बैंक वसूली हेतु समुचित कदम उठाये जाने हेतु अनुरोध किया तथा एनपीए NPA की बढ़ती घटनाओं से बैंकों की लाभप्रदता प्रभावित होने से अवगत करवाते हुए यह बताया कि वसूली बैंकों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है, अत :सरकार प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत लगातार बढ़ रहे एन.पी.ए .स्तर को देखते हुए राज्य सरकार से राजस्थान पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1952 ,में संशोधन करने के सम्बन्ध में पुन :विचार करने हेतु अनुरोध किया।

(कार्यवाही: राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार)

एजेण्डा क्रमांक – 5: Government Sponsored Schemes

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)

योजना के तहत 46556 SHGs गठित और सहयोजित (Co-opted) किए गये हैं तथा 39346 SHGs को बैंक लिंकेज व 14476 SHGs को क्रेडिट लिंकेज किया गया है।

प्रतिनिधि, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद ने स्वयं सहायता समूह का बचत खाता खोलने तथा बैंक ऋण हेतु आवेदन करने पर IBA द्वारा अनुमोदित प्रारूप का सभी बैंक शाखाओं द्वारा उपयोग किए जाने हेतु नियंत्रक कार्यालय स्तर से सभी शाखाओं को निर्देशित किए जाने का पुनः अनुरोध किया।

(कार्यवाही: समस्त नियंत्रक, सदस्य बैंक, राजस्थान)

प्रतिनिधि, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद ने राजीविका, RGAVP द्वारा Credit Camps Approach के साथ स्वयं सहायता समूहों के क्रेडिट लिंकेज बढ़ाने हेतु समस्त बैंकों से सहयोग हेतु अनुरोध किया।

(कार्यवाही: राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद/समस्त नियंत्रक, सदस्य बैंक, राजस्थान)

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM):

वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए राज्य हेतु योजनान्तर्गत 12,500 (व्यक्तिगत लाभार्थी) व 600 (स्वंय सहायता समूह) के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं।

प्रोजेक्ट निदेशक, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) ने जोधपुर जिले में ICICI, HDFC एवं AXIS BANK द्वारा योजनान्तर्गत ऋण उपलब्ध करवाने में सहयोग नहीं मिलने के बारे मे सदन को अवगत करवाया गया।

(कार्यवाही: नियंत्रक, ICICI, HDFC एवं AXIS BANK, राजस्थान)

प्रोजेक्ट निदेशक, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) ने SBI बैंक द्वारा 100 आवेदन "प्रार्थी से संपर्क नही हो पाया" का कारण बताते हुए लौटाये जाने से अवगत करवाया।

(कार्यवाही: नियंत्रक स्टेट हैड, भारतीय स्टेट बैंक)

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने सभी बैंकों से अनुरोध किया कि सरकारी योजनाओं में प्रायोजित ऋण आवेदन अतार्किक कारणों से नहीं लौटाया जाये।

(कार्यवाही: समस्त नियंत्रक, सदस्य बैंक, राजस्थान)

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)

प्रतिनिधि, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने PMEGP योजनान्तर्गत बैंको द्वारा दिनांक 01 जुलाई 2016 से पूर्व के स्वीकृत मार्जिन मनी दावों को संबन्धित राज्य / प्रभागीय कार्यालय (नोडल एजेंसी) को **भिजवाये जाने** से सूचित किया।

(कार्यवाही: समस्त नियंत्रक, सदस्य बैंक, राजस्थान)

<u>प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)</u>

योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के लक्ष्यों के सापेक्ष जुलाई 2016 तक प्रगति 27.71% होने से सदन को अवगत करवाया।

योजनान्तर्गत कृषि और संबंधित गतिविधियों जैसे मछली पालन, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, पशु पालन, ग्रेडिंग, छंटाई, एग्रो इंडस्ट्रीज, कृषि क्लीनिक और कृषि व्यवसाय केन्द्रों, खाद्य और कृषि प्रसंस्करण, इत्यादि से संबंधित क्षेत्र (फसल ऋण, भूमि सुधार को छोड़कर) जो आजीविका को बढ़ावा देने या आय सृजन करने में सहायक है इत्यादि को भी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कवरेज के लिए पात्र होने से अवगत करवाया गया।

<u>भामाशाह रोजगार सृजन योजना</u>

उप निदेशक, उद्योग ने भामाशाह रोजगार सृजन योजना को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के साथ अंगीकार करते हुए ऋण स्वीकृत किये गये आवेदकों को उघोग विभाग, राजस्थान सरकार से 4% ब्याज अनुदान स्वीकृत किये जाने हेतु अवगत करवाया तथा बैंकों से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में स्वीकृत ऋण लाभार्थी जो भामाशाह रोजगार सृजन योजनांतर्गत हेतु पात्र हैं उनके ऋण पर 4% ब्याज अनुदान राशि का क्लेम की सूचना सम्बंधित जिला उघोग केंद्रों को शीघ्र ही उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया।

(कार्यवाही: उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार / समस्त नियंत्रक, सदस्य बैंक, राजस्थान)

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा प्रायोजित सभी योजनाओं के शाखाओं मे स्वीकृति वितरण हेतु लम्बित आवेदन पत्रों को भारतीय रिजर्व बैंक के नियमानुसार निस्तारण करवाने हेतु तथा प्रगति SLBC को नियमित रूप से भिजवाने हेतु समस्त बैंकों से आग्रह किया।

(कार्यवाही : समस्त नियंत्रक, सदस्य बैंक, राजस्थान)

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के नोडल एजेन्सियों/विभाग से पर्याप्त आवेदन पत्र 30 सितम्बर, 2016 तक बैंकों को प्रायोजित (Sponsor) करने अनुरोध किया ताकि दिसम्बर, 2016 तिमाही तक लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि की प्राप्ति की जा सके।

(कार्यवाही: नोडल विभाग, उद्योग, स्वायत्त शासन विभाग, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि. तथा महिला एवं बाल विकास इत्यादि)

<u>स्टेण्ड अप-इण्डिया</u>

स्टेण्ड अप इण्डिया योजना के प्रभावी रूप से क्रियान्विति हेतु राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति का गठन के आदेश राज्य सरकार से दिनांक 22.08.2016 को जारी किये जा चुके हैं। समिति की प्रथम बैठक का आयोजन राज्य सरकार से माननीय विधायकों का सदस्य के रूप में मनोनयन करने के उपरांत प्रस्तावित है।

महाप्रबंधक, सिडबी ने सदन को अवगत करवाया कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा स्टेंड अप इंडिया कार्यक्रम का शुभारम्भ अप्रेल 2016 में किया गया जिसके तहत प्रत्येक शाखा द्वारा एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और एक महिला उद्यमी को 10 लाख से 100 लाख तक का ऋण देकर रोजगार को बढ़ावा देना है, उक्त योजना को सफल बनाने और इससे जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए वेबसाइट www.standupmitra.in का विमोचन करने से सूचित किया तथा योजनान्तर्गत उद्यमियों को जिलास्तर पर प्रशिक्षण देने पर जोर दिया तथा सभी बैंकों से प्रशिक्षण हेतु उद्यमियों को नामित करने हेतु अनुरोध किया। उन्होने योजना की विस्तृत जानकारी से भी सदन को अवगत करवाया।

स्टार्टअप-इण्डिया

स्टार्टअप इण्डिया में नवीन्मेषी स्टार्ट-अप्स को पोषण के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने की भारत सरकार की प्रमुख पहल है एवं स्टार्टअप इण्डिया पोर्टल इस पहल के तहत स्थापित किया गया है।

एजेण्डा क्रमांक – 6:

Rural Self Employment Training Institute (RSETI) and Financial Literacy & Credit Counseling Centers (FLCC):

Rural Self Employment Training Institute (RSETI):

सदन को वर्ष 2016-17 में आर-सेटी द्वारा 8825 उम्मीद्वारों को प्रशिक्षित करने तथा उनमें से 1722 उम्मीद्वारों के Settlement हो जाने के बारे अवगत करवाया गया। राज्य में सभी आर-सेटी द्वारा प्रशिक्षित कुल उम्मीद्वारों की Settlement Rate 68.49% रही है, जिसमें से 45.43% उम्मीद्वार बैंक ऋण के द्वारा Settle किये गये हैं।

राज्य निदेशक, आर-सेटी ने आर-सेटी से प्रशिक्षित प्रशिक्षाणार्थियों के ऋण स्वीकृति हेतु शाखाओं को भेजे गये आवेदन शाखा स्तर से नहीं लौटाने के निर्देश दिये जाने हेतु अनुरोध किया।

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने ऋण आवेदन पत्रों को निरस्त / लौटाये जाने का निर्णय शाखा स्तर से नहीं लेकर उसके नियंत्रक कार्यालय स्तर से लेने का आग्रह किया।

(कार्यवाही: समस्त नियंत्रक, सदस्य बैंक, राजस्थान)

राज्य निदेशक, आर-सेटी/रूडसेटी ने राज्य में कार्यरत स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों में तय मानकों के अनुसार कर्मियों की नियुक्ति करने हेतु आर-सेटी प्रायोजक बैंको से अनुरोध किया ।

(कार्यवाही:आर-सेटी/ रूडसेटी प्रायोजक बैंक, राजस्थान)

Table Agenda

प्रधानमंत्री आवास योजना

प्रतिनिधि, राष्ट्रीय आवास बैंक ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना क्रियांवयन हेतु राष्ट्रीय आवास बैंक को केंद्रीय नोडल एजेन्सी बनाया गया हैं । प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र प्रायोजित स्कीम है जिसके अंतर्गत LIG एवं EWS लाभार्थी पात्र हैं । उन्होनें प्रधानमंत्री आवास योजना की विस्तृत जानकारी से सदन को अवगत करवाते हुए तथा सभी नियंत्रक बैंको से योजना की सम्पूर्ण जानकारी से सभी शाखाओं को अवगत करवाने हेतु अनुरोध किया ।

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग

महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान सरकार ने कृषि ऋणों में ऋण प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु NIC की सहायता से कृषि भूमि का रहननामा ऑनलाईन करने हेतु एक सॉफ्टवेयर विकसित किये जाने से अवगत करवाया, इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से राज्य के भू अभिलेखों का पहले से और अधिक बेहतर ढंग से व्यवस्थापन कर सॉफ्टवेयर को पंजीयन व मुद्रांक विभागीय ऑनलाईन डाटा से जोड़ कर इसके यूजर-आईडी एवं पासवर्ड सभी बैंकों को उपलब्ध करवाने से सूचित करते हुए बैंक ऑफ बडौदा के साथ इस बाबत टोंक जिले के उनियारा ब्लॉक में पॉयलेट प्रारम्भ होने से अवगत करवाया ।

महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान सरकार ने लोक कार्यालयों एवं आम जनता की सुविधा के लिए विभिन्न दस्तावेजों पर प्रभार्य ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क की प्रभावी दरों की जानकारी विभाग के http:/igrs.rajasthan.gov.in के होम पेज पर Fees Master में दर्शाये जाने से अवगत करवाया तथा कृषि प्रयोजनों के लिए बैंकों द्वारा काश्तकार को दिये जाने वाले ऋण की जमानत के संबंध में निष्पादित विभिन्न दस्तावेजों को स्टाम्प डयूटी से मुक्त किए जाने से अवगत करवाया ।

अध्यक्ष, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियांवयन में मुख्यतः राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में एस.एल.बी.सी. की सक्रिय भूमिका की सराहना करते हुए बताया कि एस.एल.बी.सी., राजस्थान एक सक्रिय फोरम के रूप में कार्य कर रहा है ।

उन्होनें राज्य मे बैंकों के कार्यनिष्पादन पर प्रकाश डालते बताया कि राज्य में विभिन्न पैरामीटर्स यथा बैंक जमाएं, अग्रिम, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदत्त ऋण, कृषि, वार्षिक साख योजनांतर्गत प्रगति, साख जमा अनुपात (CD Ratio), कमजोर वर्गों को प्रदत्त ऋण इत्यादि के तहत संतोषप्रद उपलब्धियां दर्ज की गई हैं तथा बैठक के सार बिन्दुओं से सदन को पुनः संक्षिप्त में अवगत करवाते हुए आगामी एस.एल.बी.सी. बैठकों के दौरान डाटा पार्ट के बजाय कार्यबिन्दुओं पर सारगामी चर्चा की मॉग रखी जिससे कि राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सदस्य बैंक व अन्य हितधारकों के आपसी सहयोग व समन्वय से राज्य के सतत विकास प्रक्रिया के उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके।

अंत में बैठक के संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति एवं सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा सभी सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया ।